

राइट-टू-हेल्थ कानून के संबंध में बनाए जा रहे नयिम व उपनयिमों के लिये उच्च स्तरीय समिति गठित

चर्चा में क्यों?

11 जुलाई, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशानुसार विधानसभा द्वारा पारित स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम-2022 के संबंध में बनाए जा रहे नयिम व उपनयिमों के लिये एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है।

प्रमुख बंदि

- अतरिकित मुख्य सचवि चकित्सा एवं स्वास्थ्य वभिग शुभरा सहि ने बताया क उक्त समति स्वास्थ्य का अधिकार कानून से जुडे सभी हतिधारकों से गहन वचिर-वमिरश करके, उनके द्वारा दये गये उपयोगी सुझावों को शामिल करते हुए अपनी अनुशंसा राज्य सरकार को भेजेगी।
- उन्होंने बताया क इंसटीट्यूट ऑफ लीवर एंड बलियिरी साइंसेज नई दल्लि के नदिशक प्रोफेसर डॉ. एस.के. सरीन इस समति के अध्यक्ष होंगे।
- समति में प्रमुख शासन सचवि चकित्सा शकिषा टी.रवकिांत, राजस्थान स्टेट हेल्थ एशयोरेंस एजेंसी की मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मशिन नदिशक एनएचएम, वीसी आरयूएचएस डॉ. सुधीर भंडारी, एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. राजीव बगरहट्टा, वतित एवं कानून वभिग के एक-एक प्रतनिधि को उक्त समति का सदस्य बनाया गया है।